राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(61)/ग्रावि/ग्रुप–5/PMAY-G/मैसन मिस्त्री/15–16/पार्ट III **जयपुर, दिनांक** 03 **दिसम्बर ,2020**

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत आयोजित मैसन प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 08.08.19, 21.08.19, 24.09.19, 18.11.19, 27.05.19 एवं अ.शा.पत्र 30.07.20।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना निष्पादन हेतु निर्धारित 9 पैरामीटर्स के आधार पर राज्यों, जिलों व पंचायत समितियों की आवाससॉफ्ट पर ऑनलाईन रैंकिंग प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें मैसन प्रशिक्षण हेतु 5.00 अंक निर्धारित किये गये है।

उक्त संबंध में योजना के क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार जिलेवार 20596 मैसन प्रशिक्षण के लक्ष्य आवंटित कर प्रासंगिक पत्रों द्वारा CSDCI से अनुमोदित संस्थाओं के माध्यम से मैसन प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रति आवास 5 राजमिस्त्रियों को मैसन प्रशिक्षण दिये जाने हेतु चिन्हित लाभार्थी को राशि रूपये 1.02 लाख एकमुश्त भुगतान किये जाने का प्रावधान है। राज्य में 20596 प्रशिक्षण के लक्ष्य हेतु 4119 आवास निर्माण किये जाने के विरूद्व जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 3545 लाभार्थियों की एकमुश्त राशि भुगतान हेतु राज्य स्तर से ऑर्डरशीट जनरेट की जा चुकी है, जिसके अनुसार 17725 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण जिलों द्वारा आयोजित किये गये है।

उक्तानुसार 20596 लक्ष्यों के विरूद्व 17725 मैसन प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी परफोरमेंस इन्डेक्स में राज्य को संभावित प्राप्त होने वाले 4.30 अंकों के विरूद्व मात्र 0.72 अंक ही प्रदर्शित हो रहे है।

अतः निर्देश है कि मैसन प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान के साथ प्रगति की समीक्षा कर मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्ण कराकर, राजमिस्त्रियों के मूल्यांकन आदि को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें, जिससे राज्य की परफोरमेंस इन्डेक्स में सुधार हो सकें। साथ ही आवाससॉफ्ट पर ऑनलाईन परफोरमेंस इन्डेक्स में जिले की प्रगति प्रदर्शित होने के उपरांत ही प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान को अंतिम भुगतान किया जावें।

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद, समस्त।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि